APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ......उपखण्ड अधिकारी...... मुकाम ......कोटा......
......घासीलाल...... बनाम ......सरकार......
किस्म मुकदमा ......136...... नं. ......5...... सन् ......2026......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/1/26	ग्राम सेवा शिविर 2025 के तहत आयोजित कैम्प स्थान ग्राम पंचायत रानपुर में प्रार्थी घासीलाल की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बन्दा पटवार हल्का धर्मपुरा में स्थित भूमि खाता संख्या 42, 43, 44 में प्रार्थी का नाम घासी पुत्र मूल्या दर्ज है। जबकि आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम घासीलाल पुत्र मूला दर्ज है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सही दर्ज किये जाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार लाडपुरा से जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थी का नाम घासी पुत्र मल्या का राजस्व रिकॉर्ड में नाम घासी उर्फ घासीलाल पुत्र मूल्या उर्फ मूला किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम बन्दा की जमाबंदी खाता संख्या 42, 43, 44 में प्रार्थी का नाम घासी पुत्र मूल्या के स्थान पर घासी उर्फ घासीलाल पुत्र मूल्या उर्फ मूला दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय आज दिनांक ......02/1/26...... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। (गजेन्द्र सिंह) उपखण्ड अधिकारी कोटा	